न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 85/2019/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 5.11.2019

अन्तर्गत धाराः 75 एलआरएक्ट

उनवान

1. बलविन्द्र सिंह
2. गुरमेज सिंह

पिसरान सिकत्तर सिंह जाति सिख निवासी ग्राम खैराली तहसील तालेडा जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 4.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 83–ए/दावा/16 बलविन्द्र सिंह बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 6.7.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थीण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय की अपील पेश की गई कि अपीलांट के पिता सिकत्तरसिंह के ग्राम नोताडा मे खाते दर्ज कृषि भूमि खसरा सं0 154 रकबा 8 बीघा 12 स्थित है तथा खसरा सं0 145/1004 रकबा 21 बीघा स्थित है। खातेदार सिकत्तर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है वर्तमान मे अपीलार्थीगण खातेदार है किन्तु अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण नही खुला है। नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु वादीगण ने सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर रखा है जो अभी विचाराधीन है। फोरलेन से खेरोली मोड से नोताडा सडक जाती है इस सडक के उत्त्री और ख0 सं0 166, 165, 164 व 163 के मध्य 25 फीट चौडा रास्ता गत 50 वर्षो से बना हुआ है यह रास्ता आगे ख0 नं0 161, 156 व 152 के मध्य होता हुआ ख0 सं0 155 मे होता हुआ अपीलार्थी के खेत सं0 सं0 154, 154/1004 पहुचता है तथा आगे यह रास्ता अन्य खातेदारो के खेत पर निकल जाता है जिसकी चौडाई मौके पर 10 फीट है। इस रास्ते मे से 25 फीट चोडे रास्ते को नक्शे मे लाल स्याही से तथा 10 फीट चोडे रास्ते को नीले रंग से दर्शाया गया है यह रास्ता 50 वर्ष पूर्व से सभी काश्तकारों के आने जाने गाडी टेक्टर ट्रोली फसल खाद बीज जाने ले जाने मे अब तक काम आ रहा है। कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त 25 फीट चौडे रासते पर विवाद करने पर अपीलार्थीगण व अन्यो ने प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार तालेडा व नायब तहसीलदार तालेडा ने मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की जिसमे उक्त रास्ता चालू होना अंकित किया था तथा रास्ते का नक्शा बनाया तथा नक्शें मे रास्ते का अंकन भी किया है। रास्ता सार्वजनिक है अपीलार्थीगण तथा अन्य काश्तकार उपयोग करते चले आ रहे है। अतः नक्शें मे तरमीम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के वाद/प्रार्थना पत्र धारा 136 को निर्णय दिनांक 6.7.2017 से खारिज कर दिये जाने उपरांत अपीलार्थीगण द्वारा अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण प्रतिवादी की तलबी मे तथा जवाब भी पेश नही हुआ था उक्त प्रकरण मे तलबी प्रतिवादी हेतु दिनांक 12.7.2017 नियत थी किन्तु बिना अपीलांट को सूचित किये उक्त प्रकरण दिनांक 6.7.2017 को लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार नोताडा भोपत ले जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णत कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विरूद्ध

होने से निरस्तनीय है। नक्शे मे तरमीम करने हेतु दावा किया था रास्ता खुलासा करने का दावा नही है ऐसे दावे सुनने के अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है सिविल कोर्ट को नही इस तथ्य पर गौर नही कर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उक्त निर्णय की जानकारी नियत तारीख 12.7.2017 को अपीलांट मय अभिभाषक के न्यायालय मे उपस्थित होने पर होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अतः डिले कन्डोन कर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 6.7.2017 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमांड किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण तरमीम के लिये पेश किया था। तहसीलदार की रिपोर्ट 27.6.2015 अनुसार मौके पर रास्ता होना परन्तु रिकार्ड मे नही होना अंकित है। नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता विगत कई वर्षो से चालू होना स्पष्ट था। प्रकरण प्रतिवादी की तलबी मे दिनांक 12.7.2017 को नियत था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचना दिये प्रकरण दिनांक 6.7.2017 को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प नोताडा भोपत मे रख कर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। बहस मे यह भी बताया कि लोक अदालत मे तहसीलदार ने अपने जवाब मे रास्ता चालू माना है किन्तु अपीलांट की अनुपस्थिति मे जेरअपील निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय का अधिकार बताते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः प्रकरण रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख आदेशिक 21.6.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण मे साबिक कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी 12.7.2017 नियत थी। उक्त तारीख पेशी से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत केम्प नोताडा भोपत मे दिनांक 6.7.2017 को रख कर जेरअपील निर्णय पारित कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रकरण लोक अदालत केम्प नोताडा भोपत दिनांक 6.7.2017 मे रखे जाने के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना नही दी गई ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख मौजूद है जिससे प्रकरण लोक अदालत केम्प मे रखा जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बावत सूचित किया गया हो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा प्रकरण का गुणावगुण पर विचार किये बिना आलौच्य निर्णय दिनांक 6.7.2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से इसी स्टेज पर अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 6.7.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करे। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18.2.2020 को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होवें।

8 निर्णय आज दिनांक 4.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा